



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17092020-221781
CG-DL-E-17092020-221781

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2820]
No. 2820]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 17, 2020/भाद्र 26, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 17, 2020/BHADRA 26, 1942

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2020

का.आ. 3168 (अ).—इस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 1049(अ) दिनांक 12 मार्च, 2020 तथा का.आ. 2226(अ) दिनांक 06 जुलाई, 2020 के अनवरत क्रम में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त), श्री बंसी लाल भट्ट, सदस्य (न्यायिक) का कार्यकाल, कार्यकारी अध्यक्ष, एनसीएलएटी के रूप में 16.10.2020 तक अथवा नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए विस्तारित किया जाता है।

[फा. सं. ए-12023/4/2019-प्रशासन-IV]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : प्रमुख अधिसूचना दिनांक 12 मार्च, 2020 के का.आ. सं. 1049(अ) के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित हुई थी।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2020

S.O. 3168 (E).—In continuation of this Ministry's notifications S.O. 1049(E) dated 12th March, 2020 and S.O. 2226(E) dated 06th July, 2020, the term of office of Justice (Retd.) Shri Bansi Lal Bhat, Member (Judicial) as officiating Chairperson, NCLAT is extended upto 16.10.2020 or until a regular Chairperson is appointed or until further orders, whichever is the earliest.

[F. No. A-12023/4/2019-Ad.IV]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O.1049(E), dated the 12th March, 2020.